न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 46/2024 बउनवानी राजेश मीना बनाम भूमि अवाप्ति अधि0 एवं अति.जिला कलेक्टर स0मा0 निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा

GCMS No-2024/119

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
7.11.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 30.7.2024 को लोक सूचना अधिकारी भूमि अवाप्ति अधि0 अति.जिला कलेक्टर स0मा0 को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***" भारतमाला परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली बडोदरा निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तहसील क्षेत्र चौथ का बरवाडा के राजस्व ग्राम भगवतगढ बी मे अवाप्तशुद्दा भूमि कमश खसरा नम्बर 3206 रकबा 0.1593 है0 ख0न0 3216 रकबा 0.1613 है0 ख0न0 3377 रकबा 0.1191 है0 की मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त हितबद्दधारियो/खातेदारों का नाम व वितरण का हिस्सा समेत प्रत्येक को प्रदान की गयी राशि के विवरण का पृथक पृथक खसरानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना "*** लोक सूचना अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी , भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/भूमि अवाप्ति/2024/316 दिनांक 17.10.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.7.2024 में चाही गयी सूचना (अपीलान्ट राजेश पुत्र प्रभूदयाल के ख0न0 3377 अवाप्त रकबा 0.1191 हिस्सा 1/8 की भुगतान की गयी राशि 41063/-रू से संबंधित) लोक सूचना अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक भूमि अवाप्ति/2024/288 दिनांक 14.8.2024 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अपीलान्ट के द्वारा स्वंय के अतिरिक्त अन्य खातेदारानो की सूचना चाही गयी है इसलिए उक्तानुसार चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के तहत देय नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.7.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना तृतीय पक्षकार की होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत देय नही होने कारण उपलब्ध नही करवायी जा सकती है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील शामिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 17:58:15 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner